न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 21/20 (वाद)

1. श्री सोहनलाल गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री मनमोहन गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री यशवन्त गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मनमोहन पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 18.08.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वासनीकलां पटवार हल्का वासनीकलां में एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल गोयल (वादी) एवं प्रतिवादीगण मनमोहन गोयल, यशवन्त गोयल के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां स्थित है जिसके खाता सं. नया 20 पुराना 18 होकर आराजी नम्बर 1011 रकबा 1.0800 एवं आराजी नम्बर 1015 रकबा 6.0300 कुल किता 2 कुल रकबा 7.11 बीघा भूमि स्थित हैं। उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 के पूर्वाधिकारी गोपीलाल जी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर गोपीलाल के नाम से क्रय की थी।
2. यह कि उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी गोपीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल एवं यशवन्त गोयल के नाम से दर्ज हुई। उपरोक्त फर्म एवं एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर वर्तमान में अस्तित्व में नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:56:19 IST
Reason: SelfAttested

होकर इसका पूर्ण रूप से विघटन हो चुका है। इसलिए वादी अपनी कृषि भूमियों को अपने नाम के आगे एम.आर.मोर. इण्स्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर को भी राजस्व रेकार्ड से हटवाना चाहता है क्यूंकि उक्त फर्म को लेकर भविष्य में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं हो इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में एम.आर.मोर इण्स्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल एवं यशवन्त गोयल के बजाय सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल एवं यशवन्त गोयल के नाम से राजस्व रेकार्ड में घोषणा कराने का अधिकारी है तथा घोषित होने पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का भी अधिकारी हैं।

3. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल एवं यशवन्त गोयल के बजाय सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल एवं यशवन्त गोयल के नाम घोषित फरमाई जावें।
4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश कर वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया गया।
5. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम वासनीकलां तहसील मावली की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता सं. 20 पुराना 18 आराजी नम्बर 1011 रकबा 1.0800 व आराजी नम्बर 1015 रकबा 6.0300 कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमिया वर्तमान में एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल व यशवन्त गोयल के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो कि वादी के भाई हैं, राजीनामा प्रस्तुत कर एम.आर.मोर. इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल व यशवन्त गोयल के बजाय सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल व यशवन्त गोयल के नाम घोषणा की जाये तो प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:56:19 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः आदेश सुनाया गया।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा वासनीकलां, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 की खाता सं. नया 20 पुराना 18 होकर आराजी नम्बर 1011 रकबा 1.08 बीघा एवं आराजी नम्बर 1015 रकबा 6. 03 बीघा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमियों में एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल, मनमोहन, यशवन्त पिता गोपीलाल अग्रवाल सा. फतहनगर के बजाय ''सोहनलाल, मनमोहन, यशवन्त पिता गोपीलाल अग्रवाल सा. फतहनगर'' अंकित करने की स्वीकृति दी जाती हैं, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हों। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:56:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सोहनलाल गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री मनमोहन गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री यशवन्त गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 21/20 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा वासनीकलां, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता सं. नया 20 पुराना 18 होकर आराजी नम्बर 1011 रकबा 1.08 बीघा एवं आराजी नम्बर 1015 रकबा 6.03 बीघा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमियों में एम.आर.मोर इण्डस्ट्रीज फतहनगर जरिये प्रोपराईटर सोहनलाल, मनमोहन, यशवन्त पिता गोपीलाल अग्रवाल सा. फतहनगर के बजाय ''सोहनलाल, मनमोहन, यशवन्त पिता गोपीलाल अग्रवाल सा. फतहनगर'' अंकित करने की स्वीकृति दी जाती हैं, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.08.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:56:19 IST
Reason: SelfAttested